भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2017

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन

2017. श्री राकेश राठौर:

श्री गौरव गोगोई:

श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि पड़ोसी राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण में किस हद तक योगदान दे रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कई कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां स्थापित करने से छूट दी है और यदि हां, तो ऐसी छूट प्राप्त इकाइयों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस तरह की छूट से आस-पास के इलाकों से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है और इस तरह प्रदूषण का बोझ बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार उत्सर्जन मानदंडों का सख्ती से पालन कराने के लिए क्या कदम उठा रही है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह से चालू रहें और वायु प्रदूषण को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोका जा सके?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन/अध्ययन नहीं कराया गया है जिससे यह मूल्यांकन किया जा सके कि पड़ोसी राज्यों में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) से निकालने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण में किस हद तक योगदान देता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए [सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) सहित] उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया था। इसके अलावा, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की

अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए टीपीपी को तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया है। तदनुसार, टीपीपी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था:

क्र.सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	टीपीपी की संख्या	यूनिट की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में	17	66	20,577
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में	25	72	24,057
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल के अलावा	149	462	1,66,885.5
कुल			**191**	**600**	**2,11,519.5**

नोट: भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO_2 उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO_2 सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इसके अलावा, इन मानकों की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इनकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र शोध संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों को भी इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और उनके प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए ध्यान में रखा गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, टीपीपी द्वारा SO_2 उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए प्रयोज्यता और समयसीमा नीचे सारणीबद्ध है:

श्रेणी	SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता	अनुपालन के लिए समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिट)	अनुपालन से छूट के लिए यूनिट के रिटायरमेंट की अंतिम तिथि
श्रेणी क	अनिवार्य	31.12.2027	31.12.2030
श्रेणी ख	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाओं) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाना है। यदि किसी टीपीपी को SO_2 उत्सर्जन मानकों से छूट	31.12.2028	

	के लिए विचार किया जाता है, तो ऐसे टीपीपी को दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742(अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।		
श्रेणी ग	दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन करने की शर्त पर लागू नहीं।	31.12.2029	

टीपीपी में SO_2 उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO_2 सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस दृष्टिकोण में घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसे कम करने संबंधी एहतियाती सिद्धांत को अपनाया गया है, साथ ही यह जल, सहायक विद्युत और चूना पत्थर के अतिरिक्त उपभोग से बचाव कर संसाधन संरक्षण पर भी ज़ोर देता है, और एफजीडी की स्थापना के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि को रोकता है, तथा इसके साथ ही इन उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी ध्यान देता है।

(घ) : ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निरंतर उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी हेतु ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित करना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा के बाद अनुपालन न करने की स्थिति में, अनुपालन न करने वाले टीपीपी पर निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी:

समय सीमा के बाद गैर-अनुपालन प्रचालन	**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्पन्न)**
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे अधिक	0.40

****